



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साइट- jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/264635 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/318

दिनांक:- 12/07/2021

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2021 वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (02.07.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2021 वीं बैठक दिनांक 01.06.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बांवरला के खसरा संख्या 722 रकबा 25.00.00 बीघा के शैक्षणिक महाविद्यालय प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मानव कल्याण एवं विकास संस्थान जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोगादेवी पत्नी श्री सुखदेवराम चौधरी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को आवश्यक 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने पर प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बांवरला के खसरा संख्या 722/2 रकबा 01.11.00 बीघा के शैक्षणिक महाविद्यालय प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- आर.एन. विकास एवं शिक्षण संस्थान, जोधपुर अध्यक्ष डॉ. आर.आर. चौधरी पुत्र श्री सुखदेवराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को आवश्यक 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक 100 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने पर प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 261/4 रकबा 02.14.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री घनश्याम पुत्र श्री रूपाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि पर सैटबैक उपरान्त निर्माण योग्य क्षेत्र लगभग 12 फीट x 590 फीट प्राप्त होता है जो कि तकनिकी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में प्रार्थी से प्रस्तावित भवन मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को पुनः आगामी समिति बैठक में रखा जावे।

— 2 —

एजेण्डा संख्या 5 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/10, 134/11 रकबा 10.14.01 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री बिरमाराग, कुमारी खुशबु आचार्य पुत्री श्री विरमाराग, श्रीमती ककूदेवी पत्नी श्री रामविलास आचार्य, श्रीमती रामकन्या पत्नी श्री देवीलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को राजस्थान सरकार के नाम समर्पित भूमि खसरा संख्या 133/2, 134/8 व 134/9 से 40 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा जिसकी सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 102/2 रकबा 03.19.10 बीघा में से 01.00.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती लूणकी पत्नी श्री मिश्रीराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में खसरा तरमीम व भूमि का बंटवारा आदि की जांच उपायुक्त द्वारा की जाकर प्रकरण को पुनः आगामी समिति बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 178/4 रकबा 01.00.00 बीघा के आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती रामीवाई पत्नी श्री पुखराज सोनी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को खसरा संख्या 180 व 177/1 की पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना से 40 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा जिसकी सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

→ a

4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 01 आवासीय पट्टा सुदा भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 1240.92 वर्गगज अर्थात् 1037.53 वर्गमीटर का उपविभाजन कर योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदक :- श्रीमती धनवन्ती चौधरी पुत्र श्री राजूराम चौधरी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवम् नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधान एवम् इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्रों/अधिसूचना द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत सुनिश्चित किया जावे। नियमानुसार उपविभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा करवाये जावें।
2. जोन पूर्व की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि खसरा संख्या 1 ग्राम ढण्ड सैन्य क्षेत्र के 900 मीटर की परिधी क्षेत्र में स्थित है अतः उपविभाजित भूखण्डों के जारी किये जाने वाले उपविभाजन आदेश में यह शर्त अंकित की जावे कि भवन निर्माण से पूर्व रक्षा मन्त्रालय से अनापत्ति प्राप्त की जावे।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत नाम हस्ताणतरण पत्र एवम् जमा लीज राशि की पुष्टि उपायुक्त जोन द्वारा की जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 272 रकबा 07.02.00 बीघा में से 4729.69 वर्गमीटर के हॉस्टल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री कैलाश मोदी पुत्र श्री कैवलचन्द मोदी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व में क्लब हाउस प्रयोजनार्थ आवेदन किये जाने पर समिति बैठक दिनांक 21.01.2021 में अनुमोदित किया गया था। प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हॉस्टल प्रयोजनार्थ अनुमोदन चाहा गया है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि यदि पूर्व अनुमोदित प्रकरण को प्रार्थी पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व अन्य प्रयोजनार्थ अनुमोदन चाहता है तो कोई शुल्क देय है अथवा नहीं। राज्य सरकार से मार्गदर्शन उपरान्त प्रकरण को पुनः आगामी समिति बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम वासनी वैन्दा के खसरा संख्या 31/5, 31/6 रकबा 01.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

—

आवेदक :- श्रीमती मीना पुत्र श्री जेनाराम, श्रीमती सरोज चौधरी पुत्र स्व. श्री जेनाराम पत्नी श्री विजयसिंह चौधरी, श्रीमती अयोध्या पत्नी श्री जेनाराम चौधरी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को खसरा संख्या 31 व 31/1 की पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना से 40 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा जिसकी सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (02.07.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 438/5, 438/6, 438/7 रकबा 18.15.00 बीघा में से 02.06.16 बीघा के हॉस्पिटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- मैसर्स सतीश कुन्ती गोयल मेडिकल फाउण्डेशन प्रा.लि जरिये डायरेक्टर श्रीमती सुभाषनी पत्नी श्री आनन्द गोयल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की 30 मीटर सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः सडक मध्य से 15 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। जिसकी सुनिश्चिता जोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूमि का कुछ भाग मास्टर प्लान के प्रस्तावित सर्कल से प्रभावित हो रहा है जिसका अंकन ले-आउट प्लान में किया जावे।
3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेपटी कोरिडोर छोडा जावे।
4. आवेदित खसराना के तर्जिम की कार्यवाही उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :- (02.07.2021) जोन-पश्चिम

—

विषय :- राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 272/3 रकबा 02.06.10 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देदाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गधिकार 160 फीट रखा जावे। सड़क मार्गधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर 334 वर्गगज निर्माण है, अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक:प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :- (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 6/4 रकबा 03.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री गुलाबराम पुत्र श्री लुम्बाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि के पहुच मार्ग कि चौड़ाई भविष्य के विकास के दृष्टिगत 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के दि-दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गधिकार 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई



विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :- (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 571 रकबा 11.15.00 बीघा के हैण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री हनुमान हैण्डीकाफ्ट प्रा.लि जरिये डायरेक्टर श्री अजय चौधरी पुत्र श्री भगवान चौधरी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित तथ्यों की जाँच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना से 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त सड़क को प्रार्थी की भूमि में से निरन्तर करते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावे।
2. आवेदित भूमि पर हैण्डीकाफ्ट उद्योग प्रस्तावित किया गया जो कि पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना से लगता हुआ है अतः उक्त प्रकार का उद्योग आबादी के नजदीक अनुज्ञेय किया जा सकता है अथवा नहीं बाबत जोन उपायुक्त व निदेशक आयोजना के स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या 15 :- (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 35/15 रकबा 05.00.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री टिकमचन्द पुत्र श्री चिमनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 के 100 फीट सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन बाबत सम्बन्धित विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवम् डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने को सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
3. पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे में 'कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ का अंकन करने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर 111.11 वर्गगज में निर्माण है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई

—L

विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :- (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 475/16 रकबा 05.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री देवाराम पुत्र श्री भेराराम जरिये आममुख्यार श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री मगनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि के पहुच मार्ग कि चौड़ाई भविष्य के विकास के दृष्टिगत 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सैफ्टी कोरिडोर छोडा जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।


एजेण्डा संख्या 17 :- (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 475/14 रकबा 05.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री देवाराम पुत्र श्री भेराराम जरिये आममुख्यार श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री मगनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि के पहुच मार्ग कि चौड़ाई भविष्य के विकास के दृष्टिगत 80 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।



2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार संवर्दी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तब मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस धारत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 — (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम डोलावाडा के खसरा संख्या 69/14, 69/15 रकबा 16:05.00 बीघा के फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती जेनीदेवी पत्नी श्री श्यामलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गधिकार 100 फीट रखा जावे। सड़क मार्गधिकार हेतु सड़क मध्य से 50 फीट भूमि प्रार्थी से जेविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जेविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बंधन मुखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस धारत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 — (02.07.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 67 रकबा 05.00.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री मनोज संचेती, श्री राजेश संचेती पुत्रान् श्री दिलीप कुमार संचेती व श्री जगदीश भोज पुत्र श्री लालाराम भोज

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना कुरेशी नगर से 60 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध ही रहा जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूमि का धारा 90 क का आदेश होटल प्रयोजनार्थ किया गया है। अतः संशोधित 90 क आदेश उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

— L

3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर मूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनकी आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :- (02.07.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 55/11 रकबा 00.08.14 बीघा के आवासीय एकल मूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री रतनाराम, श्री परसराम पुत्र श्री रतनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-

1. आवेदित भूमि को सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 27.11.2016 अनुसार 2:10 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि रू. छान्द अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे, तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :- (02.07.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम कासनी लाछा के खसरा संख्या 124/2, 124/4 रकबा 27.12.00 बीघा के एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती कालकी उर्फ कालीदेवी पत्नी स्व. श्री कालूराम, श्री दिपाराम पुत्र स्व. श्री कालूराम, श्री सेठाराम पुत्र श्री पोकरराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

1. कृषि आधारित उद्योग हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबन्धित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्रार्थी से प्राप्त किया जावे।
2. मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि मिश्रित भू-उपयोग हेतु आरक्षित है। अतः उक्त उपयोग में कृषि आधारित उद्योग हेतु उपयुक्त सुरक्षा मानकों की सुनिश्चितता की जावे।



उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 22 :- (02.07.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दईजार के खसरा संख्या 69/3, 69/10, 69/11 रकबा 04.15.05 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री किशोर पुत्र श्री पप्पाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मथानिया-नागौर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रकरण में कलियदा अभियन्ता से आवेदित भूमि एवम् दईजार फायरिंग रेन्ज के मध्य की दूरी बाबत रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उक्त दूरी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार 500 मीटर से अधिक हो, तो ले-आउट प्लान जारी किया जावे अन्यथा प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।
3. आवेदित भूमि में निर्माण की स्थिति के संबंध में वर्तमान सौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे, तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन भुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जंग आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की सनस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और गा ही न्यायालय में कोई विवाद लभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 23 :- (02.07.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा संख्या 69, 70 रकबा 02.03.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री पृथ्वीसिंह उर्फ श्री धनराज पुत्र स्व. श्री वंशीलाल, श्री रविन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री बंशीलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तावित मार्क एवम् खुला क्षेत्र को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में आरक्षित ओ.सी.एफ. के सहारे-सहारे प्रस्तावित किया जावे।
3. आवेदित भूमि में निर्माण की स्थिति के संबंध में वर्तमान भौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे, तथा भौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल 06.62 वर्गमीटर के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रखी की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 24 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम आगणक के खसरा संख्या 104/2 रकबा 02.00.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाक्य।

आवेदक :- श्रीमती भवरीदेवी पत्नी श्री कालुराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रकरण में वर्तमान भौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा भौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेपटी कोरिडोर छोड़ा जावे।
5. आवेदित भूमि तथा सड़क के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रखी की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम भवाद तहसील दावडी के खसरा संख्या 690/21, 690/22 रकबा 1.8526 है० में से 0.9797 है० के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती गवरी देवी पत्नी स्व. श्री शंकरलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2031 एवम् राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में नॉलेज सिटी में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ अनुज्ञेयता के संबंध में आयोजना शाखा स्तर से पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 26 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283 रकबा 02.06.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री प्रेमराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-

1. आवेदित भूमि बोरानाडा-सातावास सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 160 फीट रखा जावे। आवेदित भूमि को सड़क मार्गाधिकार में विद्यमान नाले से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः नाले की सीमा का मानचित्र में अंकन कर नाले की सीमा से 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित 80 फीट समर्पित सड़क की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि तथा सड़क के मध्य विन्दु से दूरी बाबत जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल 03.03 वर्गमीटर के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय सड़क का अंशम जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious ही बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
5. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे, तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
6. आवेदित भूमि कोर्नर भूखण्ड है अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :- (02.07.2021) जौन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283/5 रकबा 02.04.15 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री प्रेमराम पुत्र श्री बीजाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित 80 फीट समर्पित सड़क की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious ही बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार शशि बसूले की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार शशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 28 :- (02.07.2021) जौन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/37 रकबा 00.16.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीगद्दी शारदा चरण मल्ली श्री ओमप्रकाश

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्ण में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious ही बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।



3. जमावदी से अधिक क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. आवेदित भूमि पर फैंवटी निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 29 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सातावास के खसरा संख्या 141/7 रकबा 11.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री सुब्रमणी विश्वनाथन पुत्र श्री अगृथालिगम विश्वनाथन

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के समस्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटेमन्ट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाये जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि पर फैंवटी निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 30 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सातावास के खसरा संख्या 103/23 रकबा 01.07.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

—

आवेदक :- श्रीमती विमला कंवर पत्नी श्री जयपाल सिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बावत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे, तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाढ़ अबाधित, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति की स्वयं की होगी। प्राप्ति से इस बावत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बावत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने हाने।

एजेण्डा संख्या 31 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/22 रकबा 01.00.13 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बावत।

आवेदक :- श्री राजेन्द्र संकलेवा पुत्र श्री पारसमल संकलेवा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बावत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि पर टिनशेड युक्त फैक्ट्री निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-18(25)नविधि/समाज्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।



5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 127/7 रकबा 01.17.19 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती गेरीदेवी पत्नी श्री रामाराम पटेल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-


1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क की चौड़ाई भवन रेखा (Building line) की सुनिश्चितता करते हुए 80 फीट रखी जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संघ में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious ही बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा गौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 33 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/59 रकबा 01.14.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती इन्दु गोलिया पत्नी श्री मंगराज, श्रीमती सुनिता गोलिया पत्नी श्री निर्मल गोलिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-




1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious ही बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकम की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 34 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 111/09, 111/10 रकबा 04.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री कमल किशोर बाहेली पुत्र श्री चुन्नीलाल बाहेली

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious ही बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार जारी आदेश दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकम की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई



विवाद लगेबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 142/7 रकबा 02.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती सुन्दरी पत्नी श्री मोहनराम, श्री रमेश व श्री तेजाराम पुत्रान् श्री मोहनराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को खसरा संख्या 142/9 में 40 फीट समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तुत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लगेबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 291/5, 291/6 रकबा 07.00.00 बीघा (मौका अनुसार 06.07.15 बीघा) में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स आशापूर्णा विल्डकॉन लि. जारिये डायरेक्टर श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र

—L

लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 37 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/3 रकबा 02.08.00 बीघा के औद्योगिक एकल मूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती सुनिता सिंघवी पत्नी श्री रणजीतमल सिंघवी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के दक्षिण व पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय हैं। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि कॉर्नर मूखण्ड है। अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
4. प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा मौके पर यदि निर्माण हो तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2020 को जारी आदेश अनुसार नियमानुसार राशि बसूल की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अदाप्ति एवं गालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 38 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणावास कला के खसरा संख्या 12/4 रकबा 10.00.00 बीघा में से 05.00.00

बीघा के नॉन पोल्यूटेड हेण्ड्रीकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल मूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री मंगाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में सहखातेदारी भूमि के भाग हेतु एक खातेदार द्वारा आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण में सहखातेदारों द्वारा संयुक्त आवेदन करने पर पुनर्विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 39 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणावास कला के खसरा संख्या 12/4 रकबा 10.00.00 बीघा में से 05.00.00 बीघा के नॉन पोल्यूटेड हेण्ड्रीकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल मूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

—

आवेदक :- श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बाबुलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में सहखातेदारी भूमि के भाग हेतु एक खातेदार द्वारा आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण में सहखातेदारों द्वारा संयुक्त आवेदन करने पर पुनर्विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 40 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 49/2 में स्थित वेशाली टाउनशिप सेक्टर-ई के भूखण्ड संख्या 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 क्षेत्रफल 1546.50 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत।

आवेदक :- मैसर्स वर्धमान वेन्चरर्स प्रा लि जारिये निदेशक श्री हेमन्त बंसल पुत्र श्री रतन कुमार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 41 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 646/309 भूखण्ड संख्या 1 से 5 क्षेत्रफल 2193.33 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत।

आवेदक :- श्री नीरज मेहता व श्री धीरज मेहता पुत्रान् श्री धनपतराज मेहता

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार को भिजवाये जाने से पूर्व वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या 42 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी बाधला के खसरा संख्या 70/1 में स्थित भूखण्ड संख्या 70/1/डी कुल क्षेत्रफल 2445.50 वर्गमीटर के उपविभाजन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स आर.डी.बी कार्स प्रा लि जारिये अधिकृत प्रतिनिधि व निदेशक श्री आदित्य वाहेती पुत्र श्री प्रदीप वाहेती

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 43 :- (02.07.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- प्राधिकरण क्षेत्र के जोन दक्षिण में निजी आवासीय योजनाओं में ओ.सी.एफ हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं में आरक्षित सुविधा क्षेत्रों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

01. राजस्व ग्राम पाल (मॉडरन गर्बेज योजना) के खसरा संख्या 274/1, 274/2, 274/3, 276/1 वर्गमीटर में आरक्षित ओ.सी.एफ/सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 4258.96 वर्गमीटर उक्त योजना में 60133.86 वर्गगज भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की गयी है जिसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल 3066.93 वर्गगज प्राप्त होता है। उक्त सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्रफल में से एसोसियेशन हॉल, बैंक, ऑफिस एवम् डिसपेन्सरी के नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।

—

02. राजस्व ग्राम पाल (पार्श्वनाथ फेस-प्रथम) के खसरा संख्या 568, 569/1, 569/2 में आरक्षित ओ.सी.एफ/सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3001.29 वर्गमीटर
उक्त योजना में 3589.55 वर्गगज भूमि क्लब हाउस/सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की गयी है जिसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल 1794.78 वर्गगज प्राप्त होता है। उक्त भूमि को क्लब हाउस हेतु नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।
03. राजस्व ग्राम पाल (कनिष्का रिसोर्ट) के खसरा संख्या 272, 272/1, 272/2, 272/3 में आरक्षित ओ.सी.एफ/सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 2795.42 वर्गमीटर
उक्त योजना में रिसोर्ट (सुविधा क्षेत्र) का अंकन किया गया है। उक्त भूमि का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल क्लब हाउस/प्राथमिक विद्यालय हेतु नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।
04. राजस्व ग्राम सालावास (आदित्य रियल एस्टेट) के खसरा संख्या 52/4, 52/5, 53/4, 53/5, 53/10, 53/11, 53/20, 53/28, 53/33 से 53/41 से 53/51, 53 में आरक्षित ओ.सी.एफ/सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 8758.30 वर्गमीटर
उक्त योजना में 8082.93 वर्गगज भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की गयी है जिसका 50 प्रतिशत क्षेत्रफल 4041.47 वर्गगज प्राप्त होता है। उक्त भूमि को कैंटीन/डिस्पेनसरी हेतु नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। साथ ही शेष 50 प्रतिशत भूमि के संबंध में जो.वि.वि.नि.लि की जी.एस.एस हेतु आवश्यकता बाबत वार्ता जोन स्तर से की जावे।

एजेण्डा संख्या 44 -- (02.07.2021) जोन--दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम मोगडा खुर्द के पाली रोड के खसरा संख्या 151, 248 क्षेत्रफल 111516.72 वर्गमीटर प्राधिकरण की नवीन आवासीय योजना के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त योजना को केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजना के रूप में निष्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना में मुख्य रूप से जोधपुर-पाली सड़क पर 6 व्यवसायिक भूखण्ड, 40'x70' एवम् 30'x60' आकार में आवासीय भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। साथ ही नियमानुसार सुविधा क्षेत्र तथा पार्क एवम् खुले क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना दक्षिण जोन में स्थित है जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी हेतु बड़ी मात्रा में प्लेटर्स का निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त योजना में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी के आवासों का प्रावधान नहीं किया गया है, इस बाबत राज्य सरकार से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विशिष्ट आवासीय योजना हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 45 -- (02.07.2021) जोन--दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 से 96 क्षेत्रफल 283348.18 वर्गमीटर प्राधिकरण की नवीन औद्योगिक योजना के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त औद्योगिक योजना में मुख्य रूप से 50x100 मीटर एवम् 25x50 मीटर के औद्योगिक भूखण्ड, तथा अन्य व्यवसायिक व आवासीय भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। साथ ही नियमानुसार सुविधा क्षेत्र तथा पार्क एवम् खुले क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। बाव विचार-विमर्श उक्त औद्योगिक योजना को प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।


एजेण्डा संख्या 46 -- (02.07.2021) जोन--दक्षिण (अतिरिक्त एजेण्डा)



विषय :- राजस्व ग्राम सर, भाण्डूखर्द, सिगली व हमीर नगर के खसरा संख्या क्रमशः 187, 71, 81 व 320 में ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में उल्लेख अनुसार "Government/Public Utilities are permissible on all roads after approval from competent authority" के क्रम में व्यापक जनहित में राजस्व ग्राम सर, भाण्डूखर्द, सिगली व हमीर नगर के खसरा संख्या क्रमशः 187, 71, 81 व 320 के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार आवासीय, औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्र भू-उपयोग में ग्राम पंचायत भवन उपयोग अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


12/07/2024

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,


जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/319-327

दिनांक: 12/07/2024

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निवेशक (अभियंत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजाकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने को प्राग करे।


12/07/2024

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,


जोधपुर


12/07/24


12/07/24

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2021 वी बैठक दिनांक 02.07.2021 को आयुक्त महोदय, जोधप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनिल कुमार पुनिया, सचिव एवम् उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्रीमती कचन साठोड़, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री राजेन्द्र चांदावाल, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 8. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 9. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर